न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 45/2017 जिला दौसा

मनीष कुमार पुत्र नवल किशोर, जाति ब्राह्मण , निवासी मूंडघिस्या, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र धन्ना लाल
2. गोपाल लाल पुत्र धन्ना लाल
   जाति ब्राह्मण, निवासी मूंडघिस्या, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।
3. ग्रम पंचायत श्यालावास, तहसील नांगल राजावतान द्वारा सरपंच ग्रम पंचायत ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा
दिनांक 12.6.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रदीप विजय
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर कोई हाजिर नहीं

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक 5.3.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.6.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 29.8.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट मनीष कुमार पुत्र नवल किशोर द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान दिनांक 12.6.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान ने अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना , अपीलान्ट की बिना तामील करवाये व ग्रम पंचायत से रिकार्ड तलब किये बिना ही पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर थी । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं हो तो अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिये बिना एवं मियाद के बिन्दु को तय किये बिना गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया जा सकता , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं को नजरन्दाज करते हुये निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है । उनका कहना था कि राजस्व कैम्पों में राजीनामें के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार की उक्त मंशा के विपरीत अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका यह भी कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 412 अपीलान्ट के हक में रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर ग्रम पंचायत श्यालावास द्वारा तस्दीक किया गया था । रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 12 की अपील प्रस्तुत की थी, लेकिन नामांतरकरण सख्या 12 की नकल प्रस्तुत नहीं की थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण संख्या 412 को ही नामांतरकरण संख्या 12 मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलान्ट को धमकी दी कि तू ने तो नामांतरकरण खुलवा लिया था, लेकिन हमने उसे निरस्त करवा दिया है , इस पर अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर नकल प्राप्त की जाकर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत , अवैध, अमान्य व प्रभावशून्य होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान दिनांक 12.6.2017 निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद ग्रम मूण्डघिस्या , तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 313 से 315 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 16 से 20

कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर का खातेदार प्रहलाद पुत्र धन्ना हिस्सा क्रमशः 1/5 व 1/4 की विरासत के नामांतरकरण संख्या 412 ग्रम पंचायत श्यालावास द्वारा रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 11.6.2014 के आधार पर मृतक खातेदार प्रहलाद के स्थान मनीष कुमार पुत्र नवल किशोर के नाम दिनांक 5.11.2015 को स्वीकार किये जाने के संबंध में है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रामकिशन की प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.6.2017 द्वारा ग्रम पंचायत का आदेश न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत बिना पक्षकारान एवं प्रभावित खातेदारान की सुनवाई किये बिना पारित किया जाना मानते हुये आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत का आदेश दिनांक 5.11.2015 बाबत नामांतरकरण संख्या 412 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रभावित पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है । विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के समक्ष उनवानी रामकिशन बनाम रामस्वरूप के दावे में दिनांक 12.1.2015 को विवादित भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड की स्थिति नियत दिनांक तक यथावत बनाई रखे जाने का स्थगन आदेश पारित कर प्रकरण दिनांक 5.2.2015 नियत की गई थी ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम अपीलान्ट के मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में प्रश्नगत नामांतरकरण प्रभावित खातेदारान एवं पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 11.6.2014 के आधार पर ग्रम पंचायत श्यालावास द्वारा अपीलान्ट मनीष के नाम तस्दीक किया है । हम समझते हैं किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने पारित आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.6.2017 से ग्रम पंचायत श्यालावास द्वारा न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत , बिना पक्षकारान एवं प्रभावित खातेदारान को सुनवाई किये बिना पारित किया जाना स्पष्ट प्रमाणित मानते हुये आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रभावित पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान, जिला दौसा को रिमाण्ड किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील

अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर